

## ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस सं0- 33 / 2018-19

उषा देवी बनाम् राजदीप भगत

—: आदेश :—

06-05-2025

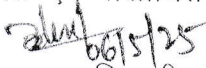
प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक-450/रा0 दिनांक-06.08.2018 द्वारा आवेदिका उषा देवी, पति-स्व0 मदन जायसवाल, साकिन-बेलटिकरी, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा द्वारा दाखिल आवेदन, जो मौजा बेलटिकरी, थाना नं0-600, जमाबंदी नं0-42, दाग नं0-66, रकवा-00-02-05 धूर भूमि से विपक्षी राजदीप भगत, पे0-नंदकिशोर भगत, साकिन-बेलटिकरी, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा को उच्छेद करने का अनुरोध को लेकर प्रारंभ किया गया। तदनुसार अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्षों को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जिसके आलोक में उभय पक्षों द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारण-पृच्छा दाखिल किया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक-344/रा0, दिनांक-06.03.2025 द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-बेलटिकरी, थाना नं0-600, जमाबंदी नं0-42 के जमाबंदी रैयत सीताराम भगत वो गजाधर भगत वो रामलगन भगत पेसरान गिरधारी भगत कौम-जैशवार शा0-देह कहकर गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग रं0-66 रकवा 00-02-05 धूर भूमि एवं कैफियत कॉलम में मकान में सहन द0 सीताराम भगत के नाम से दर्ज है। आवेदिका जमाबंदी रैयत के वंशज है। विपक्षी राजदीप भगत, पे0-नंदकिशोर भगत, साकिन-बेलटिकरी, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा के द्वारा दाग नं0-66 में पशु शेड का निर्माण किया गया है। विपक्षी का उक्त जमाबंदी से कोई संबंध नहीं है। आवेदिका के द्वारा दिये गये अमीन के पैमाइश प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि, पशु शेड का निर्माण उपरोक्त दाग नं0-66 के अन्दर किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकनोपरान्त प्रासंगिक भूमि के जमाबंदी रैयत से विपक्षीगण का कोई संबंध नहीं रहने के कारण अवैध भूमि हस्तान्तरण प्रतीत होता है। अतः विपक्षीगण को प्रासंगिक भूमि से संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया जाता है। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, महागामा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

  
अनुमंडल पदाधिकारी  
महागामा।

  
अनुमंडल पदाधिकारी  
महागामा।

Seem  
Subhash Chandra Singh  
6/5/25

Seem  
Bande Kumar Singh  
4/6/25